पत्र संख्याः-ओ0/रा0मा0आ0-48/2016-................/

बिहार सरकार

गृह विभाग (विशेष शाखा)

प्रेषकः

चन्द्रशेखर सिंह
सरकार के अपर सचिव

सेवा में,

जिला पदाधिकारी
बेगूसराय

पटना, दिनांक-   , 2017

विषयः- **राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के वाद संख्या-1521/4/4/2010-PCD/DB-II में पारित आदेश के आलोक में बरौनी थाना काण्ड सं0-232/10 में पुलिस हिरासत में दिनांक-09.07.2010 को श्री रोहित कुमार, पिता-कमलेश्वरी रजक, जिला-बेगूसराय की हुई मृत्यु के फलस्वरूप मृतक के परिजन को मुआवजा भुगतान हेतु आदेश/राज्यादेश संख्या-1186 दिनांक-14.02. 2017 द्वारा ₹1,00,000/-(एक लाख) की स्वीकृत राशि के मुख्य शीर्ष-2235, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण उप मुख्य शीर्ष-60-अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम, लघु शीर्ष-200-अन्य कार्यक्रम मांग संख्या-22-उप शीर्ष-0011 मानवता के दृष्टिकोण से राहत, विपत्र कोड-N223560200001। विषय शीर्ष- 3102 अनुग्रह अनुदान में वित्तीय वर्ष 2016-17 में उपबंधित राशि से कुल ₹1,00,000/- (एक लाख रूपये) मात्र के आवंटन की स्वीकृति।**

आदेशः- **स्वीकृत।**

2. राज्य सरकार के निर्णय के आलोक में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के विषयांकित वाद में मृतक के परिजन को **₹1,00,000/- (एक लाख)** रूपये की मुआवजा भुगतान हेतु जिला पदाधिकारी, बेगूसराय को निम्नवत राशि आवंटित की जाती हैः-

वित्तीय वर्ष 2016-17 में जिला पदाधिकारी, बेगूसराय को पूर्व में आवंटित राशि	वित्तीय वर्ष 2016-17 में जिला पदाधिकारी, बेगूसराय को वर्त्तमान में आवंटित राशि	वित्तीय वर्ष 2016-17 में जिला पदाधिकारी, बेगूसराय को कुल में आवंटित राशि
₹4,60,000/- (चार लाख साठ हजार)	**₹1,00,000/- (एक लाख)**	**₹5,60,000/- (पाँच लाख साठ हजार)**

3. उक्त आवंटित राशि **₹1,00,000/- (एक लाख रूपये)** मात्र चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में मुख्य शीर्ष-2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-उप-मुख्य शीर्ष-60-अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम, लघु शीर्ष-200-अन्य कार्यक्रय मांग संख्या-22-उप शीर्ष-0011-मानवता के दृष्टिकोण से राहत विपत्र कोड- N223560200011 के अन्तर्गत उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

4. उक्त राशि विषयांकित मृतक के परिजन को मुआवजा के भुगतान हेतु जिला पदाधिकारी, बेगूसराय को उपलब्ध करायी जा रही है।
   जिला पदाधिकारी, बेगूसराय कृपया यह भी सुनिश्चित कर लेंगे कि उनके द्वारा मुआवजा की राशि का भुगतान मृतक के परिजन की समुचित पहचान कर की गई है।

5. उक्त राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी जिला पदाधिकारी, बेगूसराय होंगे।

6. उक्त राशि के निकासी जिला कोषागार, बेगूसराय से की जायगी।

7. यह आवंटनादेश वित्त विभाग के परिपत्र संख्या-2561 दिनांक-17.04.98 के आलोक में निर्गत किया जा रहा है, जिसकी पूर्ण जिम्मेवारी जिला पदाधिकारी, बेगूसराय की होगी।

8. जिला पदाधिकारी, बेगूसराय विषयांकित मृतक के परिजन को उक्त राशि का भुगतान बैंक ड्राफ्ट/चेक के माध्यम से किया जाएगा।

9. जिला पदाधिकारी, बेगूसराय का यह दायित्व होगा कि भुगतान की गयी राशि का भुगतान प्रमाण पत्र/प्राप्ति रसीद गृह विभाग (विशेष शाखा), बिहार, पटना को यथाशीघ्र निश्चित रूप से उपलब्ध करा देंगे।

P.T.O

10. इस राशि का उपयोग जिला पदाधिकारी, बेगूसराय द्वारा मात्र मृतक के परिजन को अनुग्रह अनुदान/मुआवजा के रूप में भुगतान हेतु किया जाएगा, किसी भी अन्य योजना के कार्य पर विचलन नहीं किया जायेगा।
11. यदि किसी कारणवश जिला पदाधिकारी, बेगूसराय द्वारा उक्त राशि का उपयोग नहीं किया जाय तो उस राशि का प्रत्यार्पण वित्तीय वर्ष 2016-17 की समाप्ति के पूर्व गृह विभाग (विशेष शाखा), बिहार, पटना को निश्चित रूप से कर दिया जायेगा।
12. इस आवंटनादेश को महालेखाकार, बिहार, पटना को संसूचित किया जा रहा है।
13. इस आवंटन आदेश की प्रति संबंधित कोषागार पदाधिकारी एवं अन्य को भी दी जा रही है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/-
(चन्द्रशेखर सिंह)
सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक-.. **पटना, दिनांक-**........................ , 2017
प्रतिलिपिः- महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-
सरकार के अपर सचिव

फैक्स
स्पीड-पोस्ट

ज्ञापांक-.. **पटना, दिनांक-**........................ , 2017
प्रतिलिपि :- प्रमण्डलीय आयुक्त, मुंगेर प्रमंडल, मुंगेर/कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, बेगूसराय/वित्त विभाग-सह-बजट शाखा, बिहार, पटना को (दो प्रतियों) में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-
सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक-.. **पटना, दिनांक-**..........................., 2017
प्रतिलिपि :- उप सचिव, प्रशाखा "ए0", गृह (विशेष) विभाग, बिहार, पटना को लेखा संधारण हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-
सरकार के अपर सचिव

फैक्स
स्पीड-पोस्ट

ज्ञापांक- ..../ **पटना, दिनांक** ...., 2017
प्रतिलिपि :- उप निबंधक (विधि), राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, मानव अधिकार भवन, ब्लॉक सी0, जी0पी0ओ0 कम्पलेक्स, नई दिल्ली-110023 को उनके पत्रांक/वाद सं0-1521/4/4/2010-PCD/DB-II दिनांक-19.12.2016 के प्रसंग में सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/-
सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक- ....1261......................../ **पटना, दिनांक-**.........15-2-.........., 2017
प्रतिलिपि :- 1/आई0टी0 मैनेजर, गृह विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।

(हस्ताक्षर) 15/2/17
सरकार के अपर सचिव